

¹[नियम 88क : इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश

एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का प्रथमतः उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम यदि कोई है तो उसका उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, इसी क्रम में किया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर का प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए केवल एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले पूर्णतया उपयोग किए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 16/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा नियम 88क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.03.2019)।